

मंत्रिमंडल ने राजस्थान वक्फ नयिम- 2023 का कयिा अनुमोदन

चर्चा में क्यौं?

2 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान वक्फ नयिम-2023 का अनुमोदन कर दिया। इन नयिमों के लागू होने से राज्य में वक्फ कार्य अधिक सुगमता, स्पष्टता एवं पारदर्शिता के साथ संपादित हो सकेंगे।

प्रमुख बडि

- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वक्फ अधिनयिम-1995 की धारा 109 में वक्फ के संचालन के लयि नयिम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए नयिम लागू करने की दशा में कदम बढ़ाया है।
- राजस्थान वक्फ नयिम-2023 में वक्फ संपत्तियों के मुतवल्ली, प्रबंध कमेटी और प्रबंध योजना के साथ ही मुतवल्ली की शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख कयिा गया है। साथ ही वक्फ सर्वे आयुक्त की नियुक्ति, सर्वे आयुक्त को जाँच की शक्तियाँ एवं वक्फ संपदाओं की सूची के प्रकाशन से संबंधित प्रावधान कयि गए हैं।
- इसी प्रकार नयिमों में वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, पदावधि और सेवा संबंधी प्रावधानों के साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को किसी भी लोक कार्यालय में किसी वक्फ संपत्ति से संबंधित अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेजों के नरीक्षण का अधिकार दिया गया है।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड की कार्यवाहियों या अभरिक्षा में रखे अभिलेखों के नरीक्षण की आज्ञा नरीधारित फीस एवं शर्तों के अधीन रहते हुए दे सकेंगे। वही असत्तित्व में नहीं रहे ओकाफ (वक्फ संपत्तियों) की जाँच के लयि नयिम बनाया गया है। वक्फ संपत्तिके प्रशासन से संबंधित शकायत प्राप्त होने पर बोर्ड द्वारा जाँच कराए जाने का प्रावधान भी कयिा गया है।
- राजस्थान वक्फ नयिम-2023 में वक्फ जायदादों के लेखों के अंकेक्षण, वक्फ संपत्तिके बनिा बोर्ड की अनुमति अंतरति की गई संपत्तिको वापस लेने, संपत्तियों से अतकिरण हटवाने, बोर्ड के वरिद्ध किसी भी वाद में पैरवी के लयि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकृत करने तथा बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट संबंधी प्रावधान भी कयि गए हैं।